(133)

संख्या–118 /VI-2/2012–71(6)2011

प्रेषक,

एस0एस0 वल्दिया,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संस्कृति, पर्यटन एवं खेलकूद अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 23 फरवरी, 2012

विषयः– पुनर्विनियोग की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–3045/सं0नि0उ0/दो–3/2011–12 दिनांक 23 जनवरी, 2012 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ₹0.63 लाख (₹ तेरेसठ हजार) मात्र की धनराशि संलग्न बी0एम0–15 प्रपत्र के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से, आपके निवर्तन पर रखते हुए निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक व्यय सीमित रखा जाय। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता, जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। पूर्व जारी शासनादेशों एवं अन्य निर्धारित नियमों के दृष्टिगत कहीं कोई विसंगति की स्थिति संज्ञान में आती है, तो तत्काल प्रकरण पर शासन का मार्गदर्शन प्राप्त किया जाये।

3– धनराशि का किसी भी दशा में व्यवर्तन नहीं किया जाय। धनराशि का आहरण/व्यय मासिक व्यय की सारिणी बनाकर यथाआवश्यकता नियमानुसार ही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। कालातीत देयकों के सम्बन्ध में भुगतान करने से पूर्व नियमानुसार उक्त के वास्तविक देयता की पुष्टि अवश्य कर ली जायेगी। अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में कदापि व्यय नहीं किया जायेगा। न ही अतिरिक्त देयता उत्पन्न की जायेगी।

.....(2)

4– उक्त आवंटित धनराशि की व्यय की संकलित सूचना बी0एम0–13 पर प्रतिमाह अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

5– धनराशि उसी मद में व्यय की जाय जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है व्यय में मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निदेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय। सामग्री क्रय के संदर्भ में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के विहित प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

6– उक्त धनराशि का आहरण/व्यय भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप नियमानुसार ही किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

7– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–11 2205–कला एवं संस्कृति–00–103–पुरातत्व विज्ञान–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–0101–पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972 का कियान्वयन (50 प्रतिशत केन्द्र सहायता) मानक मद के आयोजनेत्तर पक्ष में संलग्न बी0एम0–15 प्रपत्र के कॉलम–1 में इंगित बचतों से वहन किया जायेगा।

8– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–86(NP)/XXVII(3)/2011–12 दिनांक 21. फरवरी, 2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0एस0वल्दिया)
उप सचिव।

पृष्ठांकन संख्या 118 /VI-2/2012–71(6)2011 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड़, देहरादून।
2– निजी सचिव, मा0 संस्कृति मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3– वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, देहरादून।
4– वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
5– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड।
6– एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एस0एस0वल्दिया)
उप सचिव।

आय व्ययक प्रपत्र–15

पुनर्विनियोग 2011–2012

प्रशासनिक विभाग– संस्कृति विभाग, उत्तराखण्ड शासन

नियन्त्रण अधिकारी– निदेशक, संस्कृति निदेशालय।

संख्या– आयोजनेत्तर देहरादून दिनांक (धनराशि हजार रूपए में)

बजट प्राविधान तथा लेखाशीर्षक का विवरण	मानक मदवार अध्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष के शेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष सरप्लस धनराशि	लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है।	पुर्नविनियोग के बाद स्तम्भ–5 की कुल धनराशि	पुर्नविनियोग के बाद स्तम्भ–1 की कुल धनराशि	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
अनुदान संख्या–11 2205–कला एवं संस्कृति–00 103–पुरातत्व विज्ञान 01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना 0101–पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972 का कार्यान्वयन (50 प्रतिशत के0स0)				अनुदान संख्या–11 2205–कला एवं संस्कृति–00 103–पुरातत्व विज्ञान 01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना 0101–पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972 का कार्यान्वयन (50 प्रतिशत के0स0) 06			पुरावशेष एवं बहुमूल्य कलाकृति योजना नैनीताल हेतु सृजित समूह 'घ' के रिक्त पदों के सापेक्ष उपनल व प्रान्तीय रक्षक दल के माध्यम से तैनात कर्मियों के पारिश्रमिक हेतु 16– व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान तथा उक्त कार्यालय में कार्यरत नियमित कर्मी हेतु 06 अन्य भत्तें मानक मद के आयोजनेत्तर पक्ष में वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु प्राविधानित धनराशि समाप्त हो गई है। अतः उक्त कार्यालय में उपनल व प्रान्तीय रक्षक दल के माध्यम से तैनात कर्मियों के पारिश्रमित हेतु 16–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान तथा नियमित कर्मी हेतु 06 अन्य भत्तें मानक मद के आयोजनेत्तर पक्ष में पुनर्विनियोग के माध्यम से क्रमशः रू0 0.61 लाख तथा रू0 0.02 लाख अर्थात कुल धनराशि रू0 0.63 लाख मात्र धनराशि की नितान्त आवश्यकता है।
01 वेतन 165	66	36	43	06अन्य भत्ते 2	20	122	
03 महगाई भत्ता 99	43	36	20	16 व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान 61	161	79	
योग 264	129	72	63	63	181	201	–

प्रमाणित किया जाता है कि पुर्नविनियोग से बजट मैनुअल के परिच्छेद 150, 151155,156 में उल्लिखित प्राविधानों का उल्लंघन नहीं होता है।

(एस0एस0 बल्दिया)
उप सचिव

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–3
संख्या–86(NP)–XXVII(3)2011 2012
देहरादून दिनांक–21/4/2012

पुनर्विनियोग स्वीकृति

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव, वित्त
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड
अक्षय बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़, देहरादून

संख्या– 118 /2012 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, संस्कृति निदेशालय, देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
3. वित्त (व्यय नियंत्रण) साईबर ट्रेजरी, देहरादून
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
5. निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(एस0एस0वल्दिया)
उप सचिव